रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937
No. 395] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

सा.का.नि. 498(अ).—केन्द्रीय सरकार, कतिपय प्रारूप नियम को, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा(1) के अधीन यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्यांक, 851(अ), 28 नवंबर, 2014 और संख्यांक सा.का.नि. 51(अ), तारीख 23 जनवरी, 2015 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था। जिसमें सभी व्यक्तियों से उस तारीख से 30 दिन के अवसान से पहले आक्षेपों और सुझावों को मांगा गया था जिस तारीख को उक्त राजपत्र से युक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध थीं।

और, क्रमश: 28 नवंबर, 2014 और 23 जनवरी, 2015 को उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को उपलब्ध थीं;

और, उक्त प्रारूप नियम के बारे में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

इसलिए, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 52 की उप-धारा(1) के साथ पठित धारा 110 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2015 है।
   (2) ये नियम राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 115, उप-नियम (2) के खंड (ii) में, "सारणी (डीजल यान)" की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

3. "नियम 116 के उप-नियम (3) के अधीन अनुमोदित प्रकार के मीटर का प्रयोग करके मुक्त त्वरण परीक्षण का संपादन किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है:-

(क) यान की निकास नली में नूमना जांच या बिना जांच के तीन बार मुक्त त्वरण सम्प्रवाहन किया जाएगा और तीनों संप्रवाहनों के अधिकतम आरपीएम को अभिलिखित किया जाएगा;

(ख) उसके पश्चात्, प्रत्येक मुक्त त्वरण के दौरान यान की निकास नली में नमूना जांच को अंतर्विष्ट किया जाएगा, प्रत्येक मुक्त त्वरण के दौरान तिपहिया यानों के संबंध में अधिकतम भार रहित गति के 500 आर पीएम के औसत मूल्य के और अन्य सभी प्रवर्ग के यानों के लिए 300 आरपीएम औसत मूल्य के बैंडविथ के भीतर होगी;

(ग) उपरोक्त (ख) में वर्णित, मुक्त त्वरण परीक्षण को कम से कम तीन बार दोहराया जाएगा;

(घ) अभिलिखित किया जाने वाला धूम्र घनत्व इन तीनों पठनों का समानान्तर माध्य होगा;

(ड.) यदि अभिलिखित किया जाने वाला धूम्र घनत्व सीमाओं के भीतर नहीं है तो परीक्षण भारत के पूर्णत: गर्म इंजन, उदाहरणर्थ 60^0 सेल्सियस पर तेल स्तर पदार्थ मापक छड़ी जांच द्वारा मापित इंजन तेल तापमान पर दोहराया जा सकेगा :

परंतु यह कि उपरोक्त परीक्षण को संपादित नहीं किया जाएगा, यदि बीएस-4 यान का अपकार्य उपदर्शक लेंस (एमआईएल) निदान बोर्ड (ओबीडी) स्विच चालू है, ऐसे मामलों में यान को मरम्मत या सर्विस करने के पश्चात् परीक्षण के लिए पुन: प्रस्तुत किया जाएगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2015 और सा.का.नि. संख्यांक 103(अ) , तारीख 23 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2012 के प्रारंभ को या उससे पहले टाइप अनुमोदित किए सभी नए माडलों के लिए यथा उपबंधित मुक्त त्वरण धूम्र की अपेक्षाओं का पालन करना केवल टाइप अनुमोदन के प्रयोजन के लिए इस उप-नियम का पालन के लिए पुन: टाइप अनुमोदित होना आवश्यक नहीं होगा ।

3. मूल नियम के नियम 115ख में,-

(अ) "यानों के प्रचालन पर उत्सर्जन मात्रा मानक" शब्दों के आरंभिक भाग के पश्चात् और "को गैर मिथेन हाइड्रोकार्बन (एनएमएचसी) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जहां एनएमएचसी 0.3x एचसी के बराबर होगा" शब्दों और कोष्ठकों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्न को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जैव सीएनजी) को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संघटन के अनुकल्पी के रूप में मोटर यान के लिए अनुज्ञात होगा:

परंतु यह और कि इन नियमों के अधीन संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के लिए लागू होने वाले उत्सर्जन मानक क्रमश: उन यानों पर लागू होंगे जब वे जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस (जैव सीएनजी) का प्रयोग करेंगे:

परंतु यह भी कि जैव संपीड़ित गैस (बायो सीएनजी) संघटन आईएस 16087 के अनुसार जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के लिए ईंधन विनिर्देशन को पूरा करेंगे और सिलाक्जेंस को अधिकतम 0.1 पीपीएम (एमआई के रूप में परिकलित) की अपेक्षा को पूरा करेंगे"

(आ) उप-नियम (क) के खंड (ii) में "गैसोलीन का प्रयोग करने वाले यानों के लिए " से संबंधित उपखंड (क) के पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"01 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् और 30 सितंबर, 2010 तक विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन टाइप अनुमोदन के लिए संनियम वह होंगे जो भारत स्टेज-।। में यथा विनिर्दिष्ट संनियम हैं ।"

"(इ) उप-नियम (ख) के खंड (ii) में "डीजल प्रयोग करने वाले यानों के इंजन में उपांतरण द्वारा संपरिवर्तन के लिए" से संबंधित उपखंड (ग) में पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

"01 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् और 30 सितंबर, 2010 तक विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन टाइप अनुमोदन के लिए संनियम वह होंगे जो भारत स्टेज-।। में यथा विनिर्दिष्ट संनियम हैं ।"

4. मूल नियम के नियम 115ग के उप-नियम (3) के खंड (क) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"01 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् और 30 सितंबर, 2010 तक विनिर्मित यानों के लिए इन नियमों के अधीन टाइप अनुमोदन के लिए संनियम वह होंगे जो भारत स्टेज-II में यथा विनिर्दिष्ट संनियम हैं।"

[सं. आरटी-11028/13/2012-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 के उपखंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. संख्यांक 492-E तारीख 15-6-2015 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2015

G.S.R.498(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) vide notifications of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 851(E) dated the 28thNovember, 2014, and number G.S.R.51(E) dated the 23rd January, 2015, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notifications were made available to public;

And whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on 28th November, 2014 and the 23rd January, 2015, respectively;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 read with sub-section (1) of section 52 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2015.
   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 115, in sub-rule (2), in clause (ii), for the entries below the "TABLE (DIESEL VEHICLES)", the following entries shall be substituted, namely:-

"The free acceleration test shall be carried out using meter type-approved under sub-rule (3) of rule 116 as given under:-

(a) three times flushing by free acceleration to be undertaken with or without the sampling probe in the vehicle exhaust, and average maximum rpm of the three flushings to be recorded;

(b) thereafter, with sample probe inserted in vehicle exhaust during each free acceleration, maximum no-load rpm reached shall be within the bandwidth of ±500 rpm of the average value in respect of 3-wheeled vehicles and ±300 rpm of the average value for all other categories of vehicles;

(c) the free acceleration test, mentioned in (b) above, shall be repeated minimum three times;

(d) the smoke density to be recorded shall be arithmetic mean of these three readings;

(e) In case the smoke density recorded is not within the limits, then, the test may be repeated with engine oil temperature measured by a probe in the oil level dipstick tube to be at least 60° C:

Provided that the above test shall not be carried out if the On Board Diagnostic (OBD) Malfunction Indicator Lamp (MIL) of BS-IV vehicles is switched on; in such cases, the vehicle shall be re-submitted for the above test after repair or servicing:

Provided further that only for Type Approval purposes, all new models type-approved on or before the commencement of the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2015 and complying with the requirements of free acceleration smoke as provided in the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2012, published vide notification number GSR 103(E) dated 23rd February 2012, need not be re type-approved for compliance to this sub-rule."

3. In the principal rules, in rule 115B,-

(A) after the opening portion beginning with the words "Mass emission standards for vehicles when operating on" and ending with the words, brackets, letters and figures "shall be replaced by Non-Methane Hydrocarbon (NMHC), where NMHC = 0.3 x HC.", the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that bio-compressed natural gas (bio-CNG) shall be permitted for motor vehicles as an alternate composition of the compressed natural gas (CNG):

Provided further that the mass emission standards applicable to compressed natural gas (CNG) vehicles under these rules shall be applicable to respective vehicles when they use bio-compressed natural gas (bio-CNG):

Provided also that the bio-compressed natural gas (bio-CNG) composition meets the fuel specification for bio-compressed natural gas (bio-CNG) as per IS 16087 and meets the requirement of Siloxanes max 0.1 ppm (calculated as Si)."

(B) in sub-rule A, in clause (II) relating to "For in-use Gasoline Vehicles", in sub-clause (a), for paragraph (ii), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on or after the 1st April, 2000, and up to the 30th September, 2010, the type approval norms as specified in the Bharat Stage-II norms.";

(C) in sub-rule B, in clause (II) relating to "For conversion by modification of engines of In-use Diesel Vehicles", in sub-clause (c), for paragraph (ii), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on and after the 1st April, 2000 and up to the 30th September, 2010, the type approval norms as specified in the Bharat Stage II norms;".

4. In the principal rules, in rule 115C, in sub-rule (3), in clause (a), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(ii) for the vehicles manufactured on or after the 1stApril, 2000, and up to the 30th September, 2010, the type approval norms as specified in the Bharat Stage-II norms;".

[No. RT-11028/13/2012-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. 492(E) dated the 15-6-2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.